(11)

समक्ष न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

रिवीज़न याचिका क्रं. ...../2016

1. देवराज सिंह पुत्र श्री ढूंगर सिंह राजपूत
   आयु 40 वर्ष

2. श्रीमती चन्द्र कुंवर पुत्री श्री ढूंगर सिंह राजपूत
   आयु 45 वर्ष
   निवासीगण :– ग्राम भीलवाड़ियां, तहसील
   एवं जिला राजगढ़ ..... आवेदकगण

विरूद्ध

(56)

1. श्री प्रदीप सिंह राणावत पुत्र स्व. श्री देवी सिंह जी राणावत
   आयु 55 वर्ष,
   निवासी :– बैंक ऑफ इण्डिया के पास, राजगढ़ म.प्र.

2. श्री राजस्व निरीक्षक मण्डल कमांक 1,
   वृत तहसील एवं जिला राजगढ़ ..... अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता

आवेदकगण, न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजगढ़ द्वारा अपील कमांक 09/अपील/अ–3/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 10/12/2015 से दुखित होकर वर्तमान रिवीज़न याचिका प्रस्तुत करता है। प्रथम अपील आलोच्य आदेश के माध्यम से सुनवाई हेतु विधी विरूद्ध ढंग से ग्राह्य की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

1. यह कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील कमांक 44 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता दिनांक 20/11/2015 को इस आश्य की प्रस्तुत की गयी कि राजस्व निरीक्षक कमांक 1 द्वारा उठायी गयी तरमीम विधि विरूद्ध है। सर्वे कमांक 802/3 की तरमीम नही उठायी जानी थी क्योंकि खसरा कमांक 802/1 एवं 802/2 अपीलार्थी के नाम पर है। इस कारण तीनो नंबरों की तरमीम एक साथ उठानी चाहियी थी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 595–तीन/2016 जिला राजगढ़

देवराज आदि विरूद्ध प्रदीप सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–3–2016	आवेदक ने यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ के प्रकरण कमांक 09/अपील/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी को नक्शा तरमीम के विरूद्ध अपील सुनने की अधिकाररिता नहीं थी फिर भी उनके द्वारा अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य करने में त्रुटि की है। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलनशीलता के बिन्दु पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने बिना सकारण आदेश के निरस्त करने में त्रुटि की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 44 में यह प्रावधान है कि– " 44. अपील तथा अपीलीय अधिकारी (1) जहां अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी– (क) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे आदेश देने वाला पदाधिकारी को	

कलेक्टर की शक्तियां विनिहित की गई हो, उपखण्डीय पदाधिकारी को, ———"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील हो सकती है। संहिता की धारा 46 में यह प्रावधान है कि–"46. कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी–किसी भी ऐसे आदेश की–

(क) जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का सं.9) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर ग्रहण किया गया है, या

(ख) जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है, या

(ग) जिनके द्वारा किसी ऐसे आवेदन को जो रोक (स्टे) के लिये हों, मन्जूर या नामंजर किया गया है, या

(घ) जो अन्तरिम स्वरूप का है, या

(ड़) जो धारा 108 के उपधारा (2) या धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन की नियुक्ति से संबंधित है,

इस संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी।"

अनुविभागीय अधिकारी ने नक्शा तरमीम के आदेश के विरूद्ध अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की है। नक्शा तरमीम का आदेश अंतिम स्वरूप का है, इस काण संहिता की धारा 46 के प्रावधान इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने

विधि की मंशा की अनुसार ही अपील को सुनवाई योग्य होने से ग्राह्य किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य